श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय स॰वि॰स॰ से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं॰ 18/02/1832 का उत्तर प्रतिवेदनः-

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः. 1. पूर्णिया जिला अन्तर्गत बनमनखी प्रखंड के लक्षाभित्ता, मलिनिया होते हुए धमदाहा की ओर जाने वाली कारी कोसी नदी प्रवाहित है, उक्त नदी में गाद जमाव, जंगल एवं जलकुंभी जमने के कारण नदी की गहराई एवं चौड़ाई काफी कम हो गई है,, 2. क्या यह बात सही है कि उक्त कारी कोसी नदी की गहराई एवं चौड़ाई कम होने के कारण पानी का प्रवाह लगभग समाप्त होने से नदी सूखने के कगार पर है, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित हो रहे हैं, 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं तो, क्या सरकार उक्त नदी का सफाई कर जल संवर्धन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि बिलेनिया (हिरन) धार अररिया जिला के नरपजतगंज प्रखंड मे अवस्थित मृदौल चौर से निकलकर पूर्णिया जिला में कारी कोशी धार के नाम से जानी जाती है। प्रश्नांकित धार/नदी बनमनखी प्रखंड से निकलकर लक्षाभित्ता, मलिनिया होते हुए फरियानी नदी में मिलती है। पूर्णिया जिलान्तर्गत प्रश्नांकित नदी की लंबाई 10 कि.मी. है। कारी कोशी धार मूलत: बरसाती धार है, जिसमें मानसून अवधि में जल प्रवाह होता है। वर्तमान में धार के तल की औसतन गहराई 1.0 से 1.50 मी एवं चौड़ाई औसतन 10 से 15 मी है। बाढ अवधि में अत्यधिक वर्षापात होने की स्थिति में नदी का पानी एन. एस. एल. पर फैलता है। जलस्तर में कमी होने पर पानी स्वतः धार में वापस चला जाता है। नदी के प्रवाह में किसी भी प्रकार का अवरोध नही है एवं जल निकासी सुगमता से हो जाती है। वर्तमान में उक्त धार में गाद सफाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–52 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 1832 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–52 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–52 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–52 / 2026– 914 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.02.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

श्री मिथुन कुमार, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/319 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड सबौर में गंगा नदी की धारा में बदलाव के कारण शंकरपुर, ममलखका, रजंदीपुर, फरक्का पंचायत के 100 से ज्यादा घर कटाव के कारण विलीन हो गए हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं, पूर्व में geo बैग, कटाव के रोकथाम हेतु डाला गया था, किन्तु इससे कटाव का रोकथाम नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त प्रखंडों में गंगा नदी से कटाव हेतु रोकथाम का उपाय करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिले के प्रखंड सबौर अंतर्गत ग्राम शंकरपुर एवं ममलखा में वर्ष 2025 बाढ़ अवधि के दौरान गंगा नदी में धारा परिवर्तन एवं तल-क्षरण (अंडरमाइनिंग) के कारण कटाव हुआ है। फरका पंचायत के इंगलिश ग्राम में गंगा नदी के घटते जलस्तर के कारण वर्ष 2023 में कराया गया कटाव निरोधक कार्य क्षतिग्रस्त हुआ है। बाढ़ अवधि 2025 में ग्राम रंजदीपुर में कटाव परिलक्षित नहीं हुआ था, वर्तमान में स्थल सुरक्षित है। ग्राम इंगलिश, ममलखा तथा शंकरपुर में बाढ़ 2026 पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित है तथा योजना, आपदा प्रबंधन विभाग में स्वीकृति हेतु समर्पित है। स्वीकृति के उपरांत उक्त स्थलों के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य कराया जायेगा। साथ ही ग्राम रंजदीपुर में आगामी बाढ़ अवधि 2026 में गंगा नदी से कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–19 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 319 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–19 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–19 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–19 / 2026– 913 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.02.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
19.02.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo